भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1088

जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक) को दिया गया

चिट फंड कंपनियां

1088. श्रीमती भावना गवली (पाटील):
श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बड़ी संख्या में चिटफंड कंपनियां चल रही हैं और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) वर्ष 2012 से अब तक सरकार के संज्ञान में आने वाले मामलों का ब्यौरा और संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फाइनेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसकी उस्मानाबाद में चार शाखाओं सहित पूरे देश में कई शाखाएं थीं, निवेशकों के पैसे लेकर गायब हो गई है और वर्ष 2015 में बंद हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इसकी जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सरकार द्वारा इस कंपनी के निवेशकों का पैसा उनके परिवारों को वापस करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): चिट फंड को चिट फंड अधिनियम, 1982 के तहत विनियमित किया जाता है। चिट फंड कंपनियां संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के चिट रजिस्ट्रार से पंजीकृत होने के पश्चात संबंधित राज्य सरकार के तहत कानूनी रूप से अपना कारोबार करती हैं। चिट फंड अधिनियम, 1982 में कंपनियों द्वारा किए गए अपराधों सहित अधिनियम के किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए विस्तृत दंड का प्रावधान निहित है जिसके लिए कार्रवाई करने हेतु संबंधित रजिस्ट्रार को अधिनियम में शक्तियां दी गई हैं।

(ख): चिट फंड अधिनियम, 1982 के उल्लंघन के मामले की संख्या का ब्यौरा केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है, चूंकि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में चिट के संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा इस मामलों में कार्रवाई की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक और गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा निम्नलिखित सूचना को ध्यान में लाया गया है।

- आरबीआई ने सूचित किया है कि उन्हें पुणे में पंजीकृत मैसर्स शीबा कुरिज लि., चिट फंड कंपनी के विरुद्ध चार शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें शिकायतकर्ता ने मुख्य रूप से योजना के माध्यम से एकत्र की गई नकद राशि के भुगतान न करने से संबंधित मामले को उठाया है। इस मामले को

आरबीआई द्वारा चिट के संयुक्त रजिस्ट्रार (आरओसी), चिट फंड, मुम्बई, महाराष्ट्र को संदर्भित किया गया था।

- एसएफआईओ ने सूचित किया है कि वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक और चालू वित्त वर्ष (आज की तिथि तक) के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने एसएफआईओ को 38 मामले सौंपे हैं जिनमें जांच के लिए 256 कंपनियों का उल्लेख किया गया है, जिन पर चिट फंड/बहु स्तरीय मार्केटिंग/पूंजी योजनाओं में शामिल होने का आरोप है, शामिल हैं।

(ग) और (घ): उपलब्ध सूचना के अनुसार फाइनेंशियल हैल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड नामक कंपनी के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। आरबीआई ने पुष्टि की है कि फाइनेंशियल हैल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड, आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी नहीं है। सेबी ने सूचित किया है कि यह उक्त कंपनी उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आती है। गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ), कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने भी सूचित किया है कि एमसीए ने फाइनेंशियल हैल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड के कार्यों की जांच का कार्य एसएफआईओ को नहीं सौंपा है।

तथापि, अप्राधिकृत योजनाएं चलाकर गैर-कानूनी रूप से जमा स्वीकार करने वाली कंपनियों (चिट फंड कंपनियों की आड़ में गैर-कानूनी रूप से संचालित कंपनियों सहित) अंकुश लगाने और आम जनता को उनकी मेहनत की कमाई गंवाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

- अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अध्यादेश, 2019 को अधिनियमित किया गया है और दिनांक 21.2.2019 से इसे लागू किया गया है। इस अधिनियम में देश में गैर-कानूनी रूप से जमा स्वीकार करने के कार्यकलापों के संबंध में कार्रवाई करने तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए व्यापक उपबंध किए गए हैं। इस अधिनियम में एक व्यापक पाबंदी खंड मौजूद है जो जमा स्वीकार करने वालों को किसी अविनियमित जमा योजना को बढ़ावा देने, परिचालित करने, इसका विज्ञापन निकालने अथवा जमा स्वीकार करने पर पाबंदी लगाता है। इस अधिनियम में बचाव के रूप में कठोर दण्ड तथा भारी आर्थिक दण्ड का भी उपबंध किया गया है।
- 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने लोगों से गैर-कानूनी रूप से धनराशि एकत्र करने वाली संस्थाओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जमाकर्ता हित संरक्षण (पीआईडी) अधिनियम पारित किया है।
- सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में एसएलसीसी का गठन किया गया है जिनमें राज्य सरकार के अधिकारियों, विधि प्रवर्तक एजेंसियों, विनियामकों आदि की सहभागिता होती है। अप्रैल 2014 में राज्य के मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाकर एसएलसीसी को पुनर्गठित किया गया और ऐसी बैठकों की संख्या को प्रति वर्ष दो से बढ़ाकर चार कर दिया गया है।
- आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने प्रश्नों (एफएक्यू) के शीर्ष के अंतर्गत पौंजी योजनाओं के संबंध में लोगों को सचेत किया है। इसके अलावा, आरबीआई के ऑनलाइन पोर्टल एसएसीएचईटी (https://sachet.rbi.org.in) के जरिए लोगों को धोखाधड़ीपूर्ण योजनाओं/संस्थाओं के विरुद्ध सचेत किया जाता है।

*****